प्रति व्यक्ति न्यूनतम सहायता

801. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1995 के "पायोनियर" में "इंडिया रिसीव्ज लोएस्ट एड पर कैपिटा, सेज रिपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्षों में देश में विदेशी ऋण की प्रति व्यक्ति औसत राशि, अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 1995 के अनुसार निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष, 1993 में प्रति व्यक्ति सरकारी विकास सहायता की प्राप्तियां भारत के लिए 1.7 अमरीकी डालर, चीन के लिए 2.8 अमरीकी डालर, नाइजीरिया के लिए 2.7 अमरीकी डालर, पाकिस्तान के लिए 8.7 अमरीकी डालर और म्यांमार के लिए 2.3 अमरीकी डालर थी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Appointment of Executive Directors by Stock Exchanges

802. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether appointment of Executive Directors by the Stock Exchanges made mandatory by any legislation, if so, the details thereof;

(b) whether Guwahati Stock Exchange (GSE) has invited applications for Executive Director during the last three years, if so, dates of advertisement with names of newspapers;

(c) names and addresses of the applicants with their present occupation;

(d) whether any short-listing of applicants has since been done, if so, names of such applicants;

(e) by when GSE propose to complete process of appointment; and

(f) whether Government propose to have its nominee(s) on selection committee if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) No, Sir.

(b) Guwahati Stock Exchange has issued three advertisements inviting applications for the post of Executive Director in that Exchange since August, 1993. The dates of advertisements and the names of the concerned newspapers are given in the statement (*see* below).

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Yes, Sir. The names of the candidates shortlisted earlier by the Exchange are given in statement II (*see* below). Applications received in response to the advertisement of October, 1995 are being processed by the Exchange for shortlisting.

(e) The Exchange proposes to complete the process of appointment of Executive Director by January, 1996.

(f) No, Sir.

Statement-I

Date of Advertisements	Name of Newspapers
3rd August, 1993	The Economic Times Assam Tribune Purbanchal Prahari
6th December, 1993	The Economic Times Assam Tribune The Hindu Purbanchal Prahari

Date of Advertisements	Name of Newspapers	
Between 1st and 10th October, 1995	The Times Assam Pratidin	Economic Statesman Tribune

Statement II

The names of the candidates short listed earlier by the Guwahati Stock Exchanges

1. Shankar Bhaduri
2. Om Prakash Shah
3. S. Narayanan
4. R.K. Maheshwari
5. C.V. Krishnaiah
6. M.K. Dublish
7. Anjani Sinha
8. K.C. Mittal
9. Arun Gogoi
10. S. Hazarika
11. R.C. Chowdhury
12. M.R.A. Laskar

गैर-सरकारी बैंकों की स्थापना करना

803. **श्री टी० वेंकटराम रेड्डी:**
श्री जी० प्रताप रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी बैंकों की स्थापना में दिलचस्पी रखने वाले देश के प्रमुख कारपोरेट हाउस भारतीय रिजर्व बैंक पर अपने उन नवीनतम चयन मानदंडों में संशोधन करने के लिये काफी दवाब डाल रहे हैं जो वस्तुतः प्रतिष्ठित कंपनियों को बैंककारी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चयन के लिये कोई फार्मूला तय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने बैंक स्थापित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) से (ग) जी, नहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने संबंधी आवेदनों को विचारार्थ स्वीकार करने में इसके द्वारा अपनायी जाने वाली नीति के अनुसार, प्रारम्भ में वित्तीय संस्थाओं को तरजीह दी गई थी जिसका कारण उनका ऋण मूल्यांकन संबंधी विशेषज्ञता, प्रबंधकीय दक्षता का पिछला रिकार्ड और लाभप्रदता था। उसके पश्चात, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को तरजाह दी गई थी क्योंकि वे निवेश कारोबार, उपस्कर पट्टा, किराया खरीद और आवास वित्त, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का और व्यावसायिक बैंकिंग पृष्ठभूमि वाले प्रवर्तकों का वित्त पोषण इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के क्रिया-कलापों का संचालन करते हैं। कम विकसित और कम बैंक वाले क्षेत्रों में नये बैंक स्थापित करने के इच्छुक प्रवर्तकों के समूह और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कारोबार केन्द्रित करने वाले प्रवर्तकों को भी महत्व दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले बैंकों की संख्या बता पाना संभव नहीं है।

Action taken by SEBI

804. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) in how many cases, SEBI has taken action for violation of rules, regulations and directives during the last three years, year-wise;

(b) the number and names of brokers, merchant bankers black-listed and the issues involved; and

(c) the steps being taken by SEBI to discipline brokers and bankers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.